संशोधन

संख्या- 181 /2024 / 1131 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2024

विषय:- भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिसर में स्थित परीखाना की मरम्मत हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 23 मार्च, 2024 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में शासनादेश संख्या- 176 /2024 / 1109 /चार-2024 दिनांक 23 मार्च, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 176 /2024 / 1109 /चार-2024 दिनांक 23 मार्च, 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर- 10 में अंकित 'स्वीकृत धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।' के स्थान पर 'स्वीकृत धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा कोषागार से आहरित कर भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी तथा भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए धनराशि कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।' पढ़ा जाये।

3- उक्त शासनादेश संख्या- 176 /2024 / 1109 /चार-2024 दिनांक 23 मार्च, 2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 181 /2024 / 1131 (1) /चार-2024 तद्दिनांक ।

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- महानिदेशक, इन्टैक (INTACH), नई दिल्ली।
9- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in